معهد السنة
As-Sunnah College

नैसर्गिक सुन्नत (स्वभाव)

वो गुण जिन के साथ अल्लाह तआला ने लोगों को उत्पन्न किया है

मनुष्य की अपनी एक विशेष प्रवृत्ति और मूलभूत आवश्यकतायें होती हैं। परंतु उस के आस-पास का समाज उन्हें प्रभावित करता है। कई प्रामाणिक ह़दीसों में इनका उल्लेख किया गया है

सुन्नत	हुक्म	परिभाषा
[1] मूँछ काटना	सुन्नत है, तथा पूर्णरूपेण मूँड़ना मकरूह (अप्रिय) है	मूँछ के विषय में सुन्नत यह है कि उस को काटा जाये तथा कम किया जाये, और उसे इस प्रकार से काटा जाये कि होंठ का निचला भाग दिखने लगे।
[2] दाढ़ी बढ़ाना	वाजिब है	दाढ़ी मूँड़ना ह़राम (वर्जित) है, क्योंकि यह दाढ़ी को छोड़ने एवं बढ़ाने से संबंधित नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेशों का उल्लंघन है।
[3] मिस्वाक (दातुन) करना	मुअक्कद अर्थात ऐसी सुन्नत जिस पर ज़ोर दिया गया है।	पीलू अथवा किसी अन्य लकड़ी की टहनी आदि को दाँत की स्वच्छता के लिये प्रयोग करना, मिस्वाक करना हर समय सुन्नत है, बल्कि इस पर अत्यधिक बल दिया गया है: वुज़ू के समय, नमाज़ के समय, घर एवं मस्जिद में प्रवेश करते समय, क़ुरआन का पाठ करते समय, निद्रा से जागने के समय, मृत्युशय्या पर, तथा मुख से दुर्गंध आने पर।
[4] नाक में पानी डाल कर साफ करना	वुज़ू की सुन्नत है	नाक में पानी डाल कर तत्पश्चात नाक को झाड़ कर उसे धोना एवं स्वच्छ करना।
[5] नाख़ून काटना	सुन्नत है, तथा इसे काटने में चालीस दिन से अधिक की देरी नहीं करनी चाहिये	नाख़ून को काटना चाहिये क्योंकि इसे छोड़े रखने से इस के नीचे गंदगी एकत्र हो जाती है।
[6] उंगली के जोड़ों को धोना	सुन्नत है	उन स्थानों की सफाई करना जहां गंदगी जमा होती है; और ये उंगलियों के जोड़ एवं गांठें हैं।
[7] बगल के बाल उखाड़ना	सुन्नत है, तथा इसे उखाड़ने अथवा काटने में चालीस दिन से अधिक की देरी नहीं करनी चाहिये	इससे अभिप्राय बगल में उगने वाले बालों को समाप्त करना है, चाहे इसे उखाड़ कर समाप्त किया गया हो अथवा मूंड़ कर अथवा किसी अन्य तरीके से, क्योंकि इसे समाप्त करने से स्वच्छता प्राप्त होती है एवं बगल की दुर्गंध दूर होती है।
[8] नाभि के नीचे के (जघन) बालों को समाप्त करना	सुन्नत है, तथा इसे समाप्त करने में चालीस दिन से अधिक की देरी नहीं करनी चाहिये	इससे अभिप्राय अंग विशेष (जननांग) के निकट उगने वाले बाल हैं, इसे मूंड़ने के अतिरिक्त किसी अन्य ढ़ंग से भी समाप्त किया जा सकता है, जैसे आधुनिक हेयर रिमूवल क्रीम।
[9] इस्तिंजा करना	मल-मूत्र त्याग के शिष्टाचार में से है	आगे-पीछे के दोनों रास्तों से जो निकलता है उसे पानी आदि से धो कर साफ करना, बाहर निकलने वाले विशेष स्थान एवं जो उस के आस-पास होता है उसे धोना।
[10] कुल्ली करना	वुज़ू की सुन्नत है	मुख में पानी डाल कर तत्पश्चात बाहर निकाल कर मुख को साफ करना
आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि: अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: "दस कार्य फ़ितरत अर्थात प्रकृति के अनुसार हैं: मूँछें काटना, दाढ़ी बढ़ाना, दातुन का प्रयोग करना, नाक में पानी डालना, नाख़ून काटना, उँगलियों के जोड़ धोना, कांख के बालों को उखाड़ना, जघन बाल को काटना और अपने जननांगों को पानी से साफ करना"। रावी अर्थात कथावाचक ज़करीय्या कहते हैं कि मुस़अब ने कहा कि: मैं दसवां भूल गया हूं, परंतु संभव है कि वह कुल्ली करना हो। क़ुतैबा ने इसमें इतनी वृद्धि की है कि: वकीअ ने कहा कि: (अरबी शब्द: इंतिक़ास़ का अर्थ है: मल-मूत्र त्याग के पश्चात पानी का प्रयोग करना।		
[11] ख़तना करना	पुरुषों के लिए वाजिब व अनिवार्य है तथा यदि आवश्यक हो तो महिलाओं के लिए अनुशंसित है	शिश्न की अग्र-त्वचा (खाल) को हटा देने की प्रक्रिया का नाम ख़तना है, ताकि उस में मैल इकट्ठा हो, एवं पेशाब करने के पश्चात पूर्णरूपेण स्वच्छता प्राप्त हो।
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "पाँच कार्य फ़ितरत अर्थात प्रकृति के अनुसार हैं: ख़तना करना ... ह़दीस़ अंत तक"। (इस ह़दीस़ को बुख़ारी एवं मुस्लिम ने वर्णित किया है)।		

स्रोत: फ़त्हुल मुईन फ़ी तक़रीब मनहजिस्सालिकीन व तौज़ीहिल फ़िक़्ह फ़िद्दीन, लेखक: शैख़ ह़ैसम सरहान, अल्लाह तआला उन की सुरक्षा करे।

प्रथम संस्करण १४४३ हिजरी।

हिंदी अनुवाद: साबिर ह़ुसैन पुत्र मुह़म्मद मोजीबुर रह़मान
संपर्क के लिये: https://alsarhaan.com